रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2 , 1977 आषाढ़ 4, 1899

No. 212] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1977/ASADHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June 1977

G.S.R. 413(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely —

1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Second Amendment) Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Food Corporations Rules, 1965, in rule 5, for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely.—

"(vi) such leave as is admissible to the highest category of officers in the whole-time employment of the Corporation. If any leave admissible to the Chairman under this clause—

(a) is refused due to requirements of public interest, he may be granted after the expiry of his term the amount of leave so refused, subject to the maximum of 120 days, and

(b) is not availed of by the Chairman during his term of office, he shall be entitled to carry forward such leave in the event of his being re-appointed under sub-rule (4) of rule 3".

[No. F. 2-1/77 FC-I)]

L. C. GUPTA, Jt Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1977

सा० का० नि० 413 (अ) —केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य निगम नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात —

1 (1) इन नियमों का नाम खाद्य निगम (द्वितीय संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य निगम नियम, 1965 में, नियम 5 मे, खण्ड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात —

(vi) ऐसी छुट्टी जो निगम के पूर्णकालिक नियोजन में के अधिकारियो के उच्चतम प्रवर्ग की अनुज्ञेय है । यदि इस खण्ड के अधीन अध्यक्ष को अनुज्ञेय कोई छुट्टी—

(क) लोक हित की अपेक्षाओं के कारण अस्वीकृत कर दी जाती है तो जितनी छुट्टी इस प्रकार अस्वीकृति की है वह उसके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उसे, अधिकतम 120 दिनों के अधीन रहते हुए, मंजूर की जा सकती है, और

(ख) अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान उसके द्वारा नही ली गई है तो वह नियम 3 के उपनियम (4) के अधीन पुन नियुक्ति की दशा मे उस छुट्टी को अग्रनीत का हकदार होगा ।

[स एफ० 2-1, 77 एफ० सी०-I]

एल० सी० गुप्त, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977